न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 38 / 2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. हंसराज पुत्र पारसमल जाति प्रजापत निवासी रबारियों का टांका, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स श्री बालाजी स्टोर, कृषि उपज मण्डी बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक)
2. अमित शाह पुत्र द्वारकादास प्रोप्राईटर ऑफ M/s B N Shah And Company, Shop No. F/II/14, Main Mandor Mandi, Jodhpur

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(i) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 31.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स श्री बालाजी स्टोर, कृषि उपज मण्डी बालोतरा जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **28.09.201**[illegible] विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **लोंगी मिर्च पाउडर ब्राण्ड**[illegible] कट्टे में 10 किलो भरी हुई पाई, को मिलावट [illegible] नियमानुसार कुल [illegible] पैकेट (500–500 ग्राम) के **लोंगी** [illegible] **माधव गोल्ड (5**[illegible]) वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1082** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **लोंगी मिर्च पाउडर ब्राण्ड माधव गोल्ड (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **लोंगी मिर्च पाउडर ब्राण्ड माधव गोल्ड (500 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप नहीं है क्योंकि यदि नमूना मिथ्याछाप होता तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नंबर 5ए एवं मौका फर्द में इसका हवाला दिया जाता। जहां तक नमूना मिथ्याछाप का प्रश्न है जन विश्लेषक का कार्य नमूने की रासायनिक जांच करना होता है न कि आंखों से देख–निरीक्षण कर नमूने को मिथ्याछाप बताना। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी के इस कृत्य ने न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है और न ही यह कृत्य बारम्बार है। उचित उपबंधों की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी निर्दोष है। लिहाजा उसके विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत एवं सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की जांच विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **11.10.2019** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उसने इस कृत्य से न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है और न ही यह कृत्य बारम्बार है। उचित उपबंधों की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी निर्दोष है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के लिए अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करना उसकी भी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 50,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर रूपये 2,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested